



क्र. 7559/अका./सम्बद्धता/2012

रायपुर, दिनांक : 14 / 06 / 2012

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 26.05.2012 की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.06.2012 के निर्णयानुसार कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट प्लाट ग्राम-देवरी, भादवापारा (छ.ग.) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Com.-I - Computer Application	50	2012-13
2.	B.C.A. -I	30	
3.	P.G.D.C.A.	40	
4.	D.C.A. -	40	

परिनियम 27 एवं निरीक्षण समिति की शर्तें :-

1. शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
2. पर्याप्त संख्या में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की नियुक्ति शीघ्र करें।
3. इण्डोमेंट फण्ड हेतु 15 लाख रुपये कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में तत्काल जमा कर एफ.डी.आर. की छाया प्रति विश्वविद्यालय में जमा करें।
4. ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
5. (1) दस आधुनिक कम्प्यूटर लाइसेंस साफ्टवेयर के साथ क्रय किया जाए।
(2) पाठ्यक्रमों के प्रत्येक विषयों के पुस्तकें छात्र अनुपात में क्रय किया जाए।
(3) परिनियम 28 के तहत प्राचार्य, शिक्षकों (कम्प्यू-5, गणित-1, वाणिज्य-03) एवं कार्यालय सहायक कि नियुक्ति की जाए।
6. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्ण तक करेंगे।

आदेशानुसार,

सहायक कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 7560 /अका./सम्बद्धता/2012
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 14 / 06 / 2012

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा-सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

कक्षा अधिकारी (अका.) (अका.)